कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा संगीता चारण, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भड़सिया, परबतसर जिला नागौर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाखोली जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध संगीता चारण द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 875/2021 संगीता चारण बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 875/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 द्वारा अपीलार्थी संगीता चारण को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर सक्षम अधिकारी के समक्ष 15 दिवस की अवधि में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए दो सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के एकल महिला होने एवं अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि बोराज, श्रीनगर जिला अजमेर/राउमावि बस्सी, परबतसर जिला नागौर अथवा राउमावि मोडी खुर्द, परबतसर जिला नागौर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर समायोजित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी संगीता चारण, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि खाखोली जिला नागौर का पदस्थापन स्थान संशोधित कर उनका समायोजन राउमावि मोड़ी खुर्द, परबतसर जिला नागौर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/संगीता/875/2021/167 दिनांकः 13.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती संगीता चारण, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि खाखोली जिला नागौर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)